

2021
1217

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
दूनी (टोंक-राज0)

विषय : - जमाबन्दी खाता सं. 2, 93 में नाम / झमति दुरुस्ती करने वाक
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू.रा. अधिनियम 1959

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जेल की जमाबन्दी सम्यक्
2075-78 के खाता सं. 2, 93 में मेरी जाति अर्जुन पुत्र रघुनाथ
नाम अर्जुन पुत्र रघुनाथ व अर्जुन पुत्र रघुनाथ प्रसाद दर्ज है मेरा सही नाम अर्जुन माल
जाति अर्जुन
अतः सही नाम / झमति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

[Signature]
प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी-

महोदय, रेकार्ड जमाबन्दी सं. 2075-78 ग्राम जेल
के खाता सं. 2, 93 में प्रार्थी अर्जुन पुत्र रघुनाथ व अर्जुन पुत्र रघुनाथ
जाति अर्जुन दर्ज है। इसके बजाय प्रार्थी अर्जुन
निवासी अर्जुन अपनी जाति अर्जुन
नाम अर्जुन पुत्र रघुनाथ व अर्जुन पुत्र रघुनाथ प्रसाद के बजाय जाति अर्जुन नाम अर्जुन माल
पुत्र रघुनाथ सही कराना चाहता है, जिसको सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

[Signature]
TIR. 11/12

[Signature]
पटवारी
10/10/21

Reader

कार्यालय तहसीलदार दूनी केम्प गुराई

क्रमांक:- 101 दिनांक 20.10.21

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री

अर्जुन माल पिता श्री रघुनाथ जाति अर्जुन
निवासी जेल तहसील दूनी की जाति मुताबिक रेकार्ड नाम अर्जुन पुत्र रघुनाथ व अर्जुन पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति अर्जुन

दर्ज है, रिपोर्ट पटवारी के आधार पर सही अर्जुन माल पुत्र रघुनाथ दर्ज किये जाने की अभिशंका की जाती है।

512
2021

[Signature]
तहसीलदार (भू.रा.)
दूनी
दूनी जिला-टोंक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला-टोंक

तक दूनी की अभिशंका हुआ ग्राम जेल की जमाबन्दी सं. 2075-78 के खाता सं. 2, 93 में दर्ज अर्जुन पुत्र रघुनाथ व अर्जुन पुत्र रघुनाथ प्रसाद के बजाय अर्जुन माल पुत्र रघुनाथ दुरुस्त वाकस्थ रेकार्ड माने हुए अमुक्त किया जाता है।
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)